

(1)

उत्तराखण्ड स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 सपठित उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन(संशोधन नियमावली) 2015 के अधीन जनपद देहरादून के निबंधन उप जिला चकराता / त्यूनी / कालसी के संबंधित नगरीय क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्गों / अर्द्धनगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों के लिए न्यूनतम औसत बाजारी दरों का निर्धारण (यह दरें दिनोंक 14 जनवरी 2018 से प्रभावी होंगी)

  
(बीर सिंह बुदियाल)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
देहरादून

कार्यालय कलेक्टर, देहरादून

  
(एस0एस0मुरुगेशन)

आई0एस0  
कलेक्टर, देहरादून

दिनोंक: 12, जनवरी 2018

पत्रांक: LSO / स्टाम्प लिपिक-मू0सू0 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ, परिपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1-प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2-महानिरीक्षक निबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3-जिला निबंधक, देहरादून।
- 4-जिला स्टाम्प अधिकारी देहरादून।
- 5-सहायक महानिरीक्षक निबंधन, देहरादून।
- 6-उप जिलाधिकारी चकराता / त्यूनी / कालसी।
- 7-उप निबंधक चकराता / त्यूनी / कालसी।
- 8-तहसीलदार चकराता / त्यूनी / कालसी।

  
(एस0एस0मुरुगेशन)

आई0एस0  
कलेक्टर, देहरादून



तहसील चकराता, जनपद - देहरादून  
(अर्द्ध-नगरीय क्षेत्र)

क्रमांक	प्रमुख मार्ग राजस्व/मौहल्ला / ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग राजस्व ग्रामों का नाम/मौहल्ले	कृषि भूमि प्रति हेक्टर लाख रुपये में सामान्य दर	अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रूपरेखा प्रति वर्ग मीटर) सामान्य दर	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट सुपर एरिया (प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर		नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर प्रति वर्ग मीटर	टीन पोश	
						दुकान सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर /रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	A	3	5	6	7	8	9	10	11	
		1	जोगिया (क्वार्सी)	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
		2	लाखामण्डल	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
		3	माखटी	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
		4	छटौ	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
		5	ठाणा	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
		6	दुंगरा	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500
7	कोटा मंझगांव व महलौत (क्वार्न्)	26.93	450	19600	41800	34900	13500	10500		

(बीर सिंह बुद्धियाल)

आपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)  
देहरादून

